

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 07 अ-82/17-18/2756

बैतूल दिनांक/६-०३-२०१८

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी-गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	पान्डोल	19.223	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	उमरी पान्डोल लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	4	5	8
1	बेहना जौ. सहादेव, जाति चम्हार, पता निवासी ग्राम, भू-स्वामी	46	1.113	0.324
2	ज्ञानदेव व. सहादेव, जाति चम्हार, पता निवासी सातनरे, भू-स्वामी	44	0.930	0.526
3	सैवन्ती जौ. पाण्डु, विनोद, निलेश दोनों ना. बा. वली मां सैवन्ती जौ. पाण्डु गोण्ड, ग्राम भू-स्वामी	45	1.530	1.530
		35	0.931	0.931
4	सुरेश, पिन्टु व. भजन, जाति तेली, पता सा. देह. भू-स्वामी	43/1	0.809	0.648
		43/2	0.486	0.365
5	मुन्नीबाई जौ. फुल्लु, जाति तेली, पता सा. देह. भू-स्वामी	42/2	1.859	1.139
6	चेतन ना.बा.व. सन्तोष वली मां गीताबाई जौ. संतोष, जाति तेली, पता नि. ग्राम भू-स्वामी	41/1	0.416	0.400
7	गीताबाई जौ. संतोष, जाति तेली, पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी	41/2	1.000	1.000
		40/2	0.204	0.200
8	मुकेश, चिन्टु व. फुल्लु, जाति तेली, पता नि. ग्राम, भूमि स्वामी	39	1.173	0.926

9	फुल्लु व. बंशी, जाति तेली, ग्राम भू-स्वामी	42/1	2.046	0.833
10	जगन व. बिन्नी, जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1	0.445	0.145
		32/3	0.668	0.125
11	छन्नु व. जमनु, जाति गोंड, पता निवासी ग्राम, भू-स्वामी	32/7	0.667	0.075
12	भंगी व. गेंदलाल, जाति गोंड, ग्राम, भू-स्वामी	33	1.914	0.911
		36/1	0.500	0.500
13	जुग्गी व. गेंदलाल, जाति गोंड, सा. देह	36/2	2.000	1.151
14	रंगी व. गेंदलाल, जाति गोंड, सा. देह	36/3	2.000	2.000
15	रंज्जु बेवा गेंदलाल, जाति गोंड, साकिन देह	36/4	0.482	0.482
16	मानिक व. फत्तु जाति गोंड, पता नि. ग्राम, भू-स्वामी	37	1.134	1.134
		25/1	1.013	0.121
17	महादेव, बलीराम, संतोष व. रामजी गोंड, पता सा. देह, भू-स्वामी	21	4.209	2.774
18	फुलचंद व. चुन्नीलाल, जाति तेली, पता निवासी सातनेर, भू-स्वामी	17/1	0.405	0.198
19	धर्मन्द्र व. किशोरीलाल, जाति कलार, पता नि. सातनेर	20/1	0.220	0.220
20	मुकेश कुमार ना.बा. व. फुल्लु वली पिता फुल्लु व. बंशी, जाति तेली, ग्राम, भू-स्वामी	40/1	0.565	0.565
	<b>कुल योग :-</b>	<b>26</b>	<b>28.719</b>	<b>19.223</b>

1- चूंकि उमरी-पान्डोल लघू(स्टोरेज) जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन-पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

  
( शशांक मिश्र )


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल दिनांक  $\frac{16}{20}$ -3-2018

पृ0क0 07 अ-82/वर्ष 17-18 2756

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पान्डोल तहसील आठनेर जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

  
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग